रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 590
लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०–41
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
क्रम सं0–124

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 27 अप्रैल, 2002
वैशाख 7, 1924 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
न्याय अनुभाग–7 (कल्याण निधि)

संख्या 324 / सात–न्याय–7
लखनऊ, 27 अप्रैल, 2002

अधिसूचना

प0 आ0–270

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (5) के तृतीय परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल न्यासी समिति से परामर्श के पश्चात् नीचे अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित विद्यमान वार्षिक और आजीवन चन्दे की दर की धनराशि को स्तम्भ–4 में प्रत्येक के सम्मुख उल्लिखित धनराशि में दिनांक 1 मई, 2002 से परिवर्तित करते हैं।

अनुसूची

क्रम सं०	अभिदाता का वर्ग	विद्यमान दर	नया दर
1	2	3	4
1	अधिवक्ता जिसने 5 वर्ष से अनाधिक वर्ष के लिए विधि व्यवसाय किया हो।	50 रूपये प्रतिवर्ष	100 रूपये प्रतिवर्ष
2.	अधिवक्ता जिसने 5 वर्ष से अधिक किन्तु 10 वर्ष से अनाधिक वर्ष के लिए विधि व्यवसाय किया हो।	100 रूपये प्रतिवर्ष	250 रूपये प्रतिवर्ष
3	अधिवक्ता जिसने दस वर्ष से अधिक वर्ष के लिए विधि व्यवसाय किया हो।	250 रूपये प्रतिवर्ष	400 रूपये प्रतिवर्ष
4	आजीवन चन्दा	3000 रूपये	5000 रूपये

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974

[The Uttar Pradesh Advocate welfare fund Act, 1974]

[उ.प्र. अधि. सं. 6 सन् 1974]

(उ.प्र. अधि. सं. 21 सन् 1988 एवं उ.प्र.अधि. सं. 3 सन् 1999 द्वारा यथा संशोधित)

उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक निधि को स्थापित करने एवं प्रभावी बनाने हेतु उपबन्ध करने हेतु अधिनियम।

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं विस्तार.—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

2. परिभाषायें.—जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में--

[1][(क) 'अधिवक्ता' का तात्पर्य स्टेट बार काउन्सिल की नामावली में नामनिर्देशित एडवोकेट से है और इसमें ऐसे प्लीडर और अन्य विधि व्यवसायी भी, जो विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 के उपबन्धों के अधीन इस रूप में नामनिर्देशित हों, सम्मिलित होंगे,

(कक) 'बार एसोसियेशन का तात्पये स्टेट बार काउन्सिल से संबद्ध बार एसोसियेशन से है]

(ख) "राज्य बार कौसिल" से अभिप्राय अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अधीन गठित उ. प्र. की राज्य बार कौसिल से है,

(ग) "निधि" से अभिप्राय धारा 3 में विनिर्दिष्ट निधि से है।

[2][(गग) 'सदस्य' का तात्पर्य योजना के किसी सदस्य से है।]

(घ) "न्यासी समिति" से अभिप्राय धारा 3 के अन्तर्गत गठित समिति से है,

[3](ड.) "कल्याण स्टाम्प" से अभिप्राय धारा 9 में विनिर्दिष्ट स्टाम्पस है,

[4][(च) 'वकालतनामा' के अन्तर्गत उपस्थित होने का ज्ञापन या कोई अन्य दस्तावेज भी है जिससे किसी अधिवक्ता को किसी न्यायालय, अधिकरण प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होने, कार्य करने या अभिवचन करने की शक्ति प्राप्त हो, किन्तु इसके अन्तर्गत सरकार या सरकार का

---

1. उ.प्र. अधि. सं. 3 सन् 1999 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ.प्र. अधि. सं. 3 सन् 1999 द्वारा अन्त:स्थापित।
3. उ.प्र. अधि. सं. 21 सन् 1988 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ.प्र. अधि. सं. 3 सन् 1999 द्वारा प्रतिस्थापित।

प्रतिनिधित्व करने वाले किसी अधिकारी की ओर से दाखिल किया गया कोई वकालतनामा या उपस्थिति का ज्ञापन नही है।]

3. निधि का प्रयोजन.—सामान्य लोकापयोगिता के निम्नलिखित प्रयोजन के लिए एतद् पश्चात् रीति से सृजित निधि जो उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि कही जायेगी, के सम्बन्ध में एक भूतपूर्व न्यास गठित किया जायेगा।

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम से 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिवक्ता के लिए सामूहिक जीवन बीमा पालिशी प्राप्त करने हेतु,

(ख) जिला बार एसोसिएशनों के लिए भवन, हाल, लाइब्रेरी [1][कैन्टीन, शेड और अन्य सुविधाओं] के बारे में व्यवस्था करने हेतु अथवा [2][बार एसोसिएशनों] को ऐसी व्यवस्था करने हेतु अनुदान प्रदान करने हेतु,

[3][(खख) अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि स्कीम, जो एतद्पश्चात स्कीम कही जायेगी, ऐसे अधिवक्ताओं के लिए जो स्कीम के सदस्य हों, का गठन करने हेतु-]

(ग) जरूरतमन्द अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु अन्य स्कीमों का गठन, तथा

(घ) ऐसे अन्य प्रयोजनों हेतु, जो न्यासी समिति के विचार में अधिवक्ताओं की कार्य दशाओं और सुविधाओं में वृद्धि करने वाली हो।

(2) विधि में निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

(क) धारा 4 के अन्तर्गत उसे अन्तरित सम्पूर्ण धनराशि

(ख) राज्य बार कौसिल द्वारा उसे किया गया सब अंशदान,

(ग) किसी अधिवक्ता द्वारा निधि में स्वैच्छिक अनुदान अथवा अंशदान, जिसमें किसी अधिवक्ता की मृत्यु पर, भारतीय जीवन बीमा निगम से सामूहिक जीवन बीमा पालिसी के अन्तर्गत, जहाँ ऐसे अधिवक्ता ने न्यासी समिति को उस व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया हो, जिसे पालिसी के अन्तर्गत सुरक्षित धनराशि का भुगतान उसकी मृत्यु की दशा में किया जायेगा, प्राप्त धनराशि भी सम्मिलित है,

(घ) राज्य सरकार द्वारा निधि में दिया गया कोई ग्रान्ट,

(ङ) धारा 5 के अन्तर्गत ऋण के रूप में ली गयी कोई धनराशि,

(च) निधि के किसी भाग के सम्बन्धों में कोई ब्याज, अथवा डिवीडेंट अथवा रिटर्न अथवा विनिवेश,

---

1. उ.प्र. अधि. सं. 3 सन् 1999 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ.प्र. अधि. सं. 3 सन् 1999 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ.प्र. अधि. सं. 21 सन् 1988 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][(छ) धारा 10 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अन्तरित स्टाम्प के विक्रय से प्राप्त धनराशि,

[2][(ज) धारा 11 के अनुसार स्कीम की सदस्यता के लिए प्रवेश शुल्क और वार्षिक अंशदान तथा उस पर ब्याज, यदि कोई हो,]

[3][(3) निधि एक न्यासी समिति, जो उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति कही जायेगी, में निहित होगी और उसके द्वारा धारित एवं प्रशासित की की जायेगी, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे--

(क) उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल, पदेन, जो चेयरमैन होंगे,

(ख) चेयरमैन, राज्य बार कौंसिल, पदेन अथवा जहाँ वह पद तत्समय एडवोकेट जनरल द्वारा धारित हो, तो [4][उसके द्वारा] नामित कोई अधिवक्ता,

[5][(खख) राज्य बार कौंसिल द्वारा निर्वाचित दो सदस्य]

(ग) सचिव, न्यायिक विभाग, राज्य सरकार, पदेन जो उसका सदस्य सचिव होगा,

[6][(4) उपधारा (3) के खण्ड(ख) के अन्तर्गत नामित सदस्य तब तक पद धारण करेगा, जब तक कि राज्य बार कौंसिल के चेयरमैन का पद एडवोकेट जनरल द्वारा धारित किया जाये, किन्तु वह किसी भी समय चेयरमैन को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लिखित पत्र के माध्यम से अपनी सदस्यता का परित्याग कर सकेगा।]

(5) न्यासी समिति उपर्युक्त नाम, शाश्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य मुद्रा के साथ सम्पत्ति को अर्जित करने और धारित करने की शक्ति के साथ एक निगमित निकाय होगी, और अपने नाम से वाद ला सकेगी अथवा उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

(6) न्यासी समिति के किसी कार्य अथवा कार्यवाही को मात्र उसके गठन में किसी प्रकार के दोष होने अथवा किसी रिक्ती के कारण प्रश्नगत नहीं किया जायेगा, न वह अवैध समझी जायेगी।]

4. निधि को कतिपय धनराशि का अन्तरण.—[7](1) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पंजीकरण प्रमाण पत्र पर स्टाम्प ड्यूटी के रूप में भुगतान एवं जमा किये जाने के कारण राज्य बार कौंसिल द्वारा प्राप्त धनराशि के बराबर धनराशि, उस पर वास्तव में अर्जित ब्याज के साथ, उसके द्वारा निधि के खाते में भुगतान किया जायेगा और ऐसी निधि

---

1. उ.प्र. अधि. सं. 21 सन् 1988 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ.प्र. अधि. सं. 21 सन् 1988 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ.प्र. अधि. सं. 3 सन् 1999 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ.प्र. अधि. सं. 21 सन् 1988 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ.प्र. अधि. सं. 3 सन् 1999 द्वारा अन्त:स्थापित।
6. उ.प्र. अधि. सं. 3 सन् 1999 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उ.प्र. अधि. सं. 3 सन् 1999 द्वारा पुन:स्थापित।

का खाता राज्य बार कौसिल को राज्य सरकार के प्रति उसके सम्बन्ध में दायित्व से मुक्ति प्रदान करेगी।]

[1][(2) अधिवक्ताओं द्वारा एक वित्तीय वर्ष में राज्य बार कौसिल से पंजीकरण प्रमाण पत्र हेतु जमा की गयी स्टाम्प ड्यूटी के बराबर धनराशि राज्य सरकार द्वारा उस वित्तीय वर्ष के अन्त के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र विधि में अन्तरित की जायेगी तथा ऐसा अन्तरण उस वित्तीय वर्ष के लिए उसके सम्बन्ध में राज्य को उत्तरदायित्व से मुक्त करेगा।]

5. वित्तीय उपबन्ध.—(1)न्यासी समिति, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अपेक्षित कोई धनराशि, समय-समय पर उधार ले सकेगी।

(2) निधि की धनराशि किसी अनुसूचित बैंक में जमा किया जा सकेगा अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा द्वारा नियंत्रित किसी निगम को ऋण और अग्रिम के रूप में अथवा ऐसी अन्य रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निदेशित किया जाये, निवेश कर सकेगी।

(3) निधि एक स्थानीय निधि समझी जायेगी और उसका आडिट परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा।

6. विलेख आदि का निष्पादन और प्रमाणीकरण.—न्यासी समिति द्वारा पारित और निष्पादित सभी निर्णय एवं अन्य विलेख सदस्य सचिव, जो उक्त समिति की तरफ से किसी बैंक खाते को संचालन की शक्ति भी रखता है, के हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जा सकेगा।

7. निदेशों को जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति.—राज्य सरकार समय-समय पर न्यासी समिति को ऐसा निदेश जारी कर सकेगी, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने हेतु आवश्यक अथवा अपरिहार्य हों और न्यासी समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस निदेशों का अनुसरण करे।

[2][**8. राज्य बार कौसिल द्वारा अंशदान.**—राज्य बार कौसिल उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण विधि(संशोधन) अध्यादेश, 1986 के प्रवृत्त होने के दिनांक को एक लाख रुपये का अंशदान करेगी [3][x x x]

[4][परन्तु इस धारा, जैसी कि वह उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 1998 के पूर्व थी, के अधीन राज्य बार कौसिल द्वारा दी गयी अंशदान की कोई धनराशि, वापस नहीं की जायेगी।]

[5][**9.** वकालतनामा पर कल्याण स्टाम्प

---

1. उ.प्र. अधि. सं. 3 सन् 1999 द्वारा अन्त:स्थापित।
2. उ.प्र. अधि. सं. 21 सन् 1988 द्वारा संशोधित।
3. उ.प्र. अधि. सं. 3 सन् 1999 द्वारा और तत्पश्चात वर्ष के दौरान उसके द्वारा अधिवक्ताओं के नामांकन के निमित्त वसूल की गयी कीमत पचीस प्रतिशत के बराबर धनराशि का प्रतिवर्ष वाक्यांश विलुप्त किया गया।
4. उ.प्र. अधि. सं. 3 सन् 1999 द्वारा अन्त:स्थापित।
5. उ.प्र. अधि. सं. 21 सन् 1988 द्वारा संशोधित।

[1][(1) प्रत्येक अधिवक्ता अपने द्वारा स्वीकृत वकालतनामा पर किसी न्यायालय या अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति को दाखिल किये जाने वाले वकालतनामा की स्थिति में पाँच रुपये के मूल्य का कल्याणकारी स्टाम्प लगायेगा और कोई न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या व्यक्ति ऐसे अधिवक्ता के पक्ष में कोई वकालतनामा ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि उस पर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपेक्षित किसी स्टाम्प के अतिरिक्त ऐसा स्टाम्प न लगा हो।]

(2) कल्याणकारी स्टाम्प का मूल्य न तो वाद में न कार्यवाहियों में लागत के रूप में कर योग्य होगा।

(3) उपधारा (2) के उपबन्धों का किसी सदस्य द्वारा कोई उल्लंघन उसे स्कीम के किसी लाभ से अनर्ह बनायेगा और दुश्चरण समझा जायेगा तथा न्यासी समिति समुचित कार्यवाही हेतु राज्य बार कौंसिल को मामले की रिपोर्ट देगी।

(4) किसी वकालतनामा पर उपधारा (1) के अन्तर्गत चस्पा किया गया हर कल्याणकारी स्टाम्प कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 की धारा 30 में दी गयी रीति से रद्द किया जायेगा।

[2][**10. कल्याण स्टाम्प का मुद्रण एवं विक्रय.**—(1) [3][बार कौंसिल] इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ऐसी आकृति और ऐसे विस्तार में, जिसे वह समझे कल्याणकारी स्टाम्प मुद्रित करायेगी जिस पर "कल्याणकारी स्टाम्प" मुद्रित होगा।

(2) राज्य सरकार न्याय शुल्क स्टाम्पों के विक्रय हेतु स्वयम द्वारा नियुक्त

स्टाम्प विक्रेताओं के माध्यम से अथवा ऐसे अन्य अभिकरण के माध्यम से जिसे वह उचित समझे, कल्याणकारी स्टाम्पों के वितरण एवं विक्रय को नियंत्रित करेगी।

(3) राज्य सरकार हर वित्तीय वर्ष के अन्त में कल्याणकारी स्टाम्पों के विक्रय मूल्य को, स्टाम्पों के [4][मुद्रण (जो बार कौंसिल को भुगतान किया जायेगा), विक्रय और वितरण को नियन्त्रित करेगी।

(4) राज्य सरकार [5][बार कौंसिल से प्राप्त और विक्रय किये गये कल्याणकारी स्टाम्पों की संख्या, घटायी गयी लागत, बार कौंसिल को भुगतान की गयी मुद्रण लागत का उल्लेख करते हुए एक विवरण] और इस धारा के अन्तर्गत निधि में अन्तरित धनराशि का विवरण, ऐसे अन्तरण के तीन माह के भीतर न्यासी समिति को प्रदान करेगी।

[6][(5) राज्य सरकार मुद्रण प्रभार वसूल कर कल्याणकारी स्टाम्पों के मुद्रण हेतु शासकीय प्रेस की सेवा ले सकेगी।

---

1. उ.प्र. अधि. सं. 3 सन् 1999 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ.प्र. अधि. सं. 21 सन् 1988 द्वारा संशोधित।
3. उ.प्र. अधि. सं. 3 सन् 1999 द्वारा 'राज्य सरकार' शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. उ.प्र. अधि. सं. 3 सन् 1999 द्वारा 'मुद्रण' शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. उ.प्र. अधि. सं. 3 सन् 1999 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ.प्र. अधि. सं. 3 सन् 1999 द्वारा अन्तःस्थापित।

[1][**10क. कल्याणकारी स्टाम्प की अनुपलब्धता की दशा में उपबन्ध.**—धारा 10 में किसी बात के होते हुए भी, कल्याणकारी स्टाम्पों की अस्थायी कमी की दशा में कल्याणकारी स्टाम्पों का मूल्य न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या व्यक्ति के ऐसे अधीनस्थ अधिकारी या लिपिक को, जिसे ऐसे न्यायालय अधिकरण, प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, नकद भुगतान किया जा सकता है और ऐसा अधीनस्थ अधिकारी या लिपिक उसके लिए एक रसीद देगा जिसे वकालतनामा पर चस्पा किया जायेगा और ऐसे चस्पा का वही प्रभाव होगा मानो उस धनराशि का कल्याणकारी स्टाम्प इस अधिनियम के अनुसार सम्यक् रूप से चस्पा किया गया हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन नकद प्राप्त करने वाला अधीनस्थ अधिकारी या लिपिक उसे कोषागार में ऐसे शीर्षक के, जैसा राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा इस विनिर्दिष्ट करे, अधीन जमा करेगा।]

[2][**11. स्कीम की सदस्यता.**—(1)कोई अधिवक्ता स्कीम के सदस्य के रूप में प्रवेश हेतु सचिव, न्यासी समिति को ऐसे प्रारूप में आवेदन कर सकेगा, जो विहित किया जाये।

(2) हर आवेदनकर्ता आवेदन पत्र के साथ लगभग एक सौ रुपये प्रवेश शुल्क के रूप में विहित प्रारूप में भुगतान करेगा।

(3) न्यासी समिति आवेदन पत्र एवं प्रवेश शुल्क प्राप्त होने पर, ऐसी जाँच कर सकेगी जिसे वह आवश्यक समझे और या तो आवेदनकर्ता को स्कीम की सदस्यता के लिए प्रवेश प्रदान करेगी अथवा अभिलिखित कारणों से आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर सकेगी और प्रवेश शुल्क के लिए भुगतान की गयी धनराशि को वापस करेगी,

परन्तु कोई आवेदन पत्र तब तक अस्वीकृत नहीं किया जायेगा, जब तककि आवेदनकर्ता को सुनवायी का अवसर प्रदान न दिया गया हो।

(4) उक्त प्रकार से प्रवेश दिये गये सदस्य की सदस्यता उस वर्ष जिसमें आवेदन किया गया था, के जनवरी माह के प्रथम दिवस से अथवा आवेदनकर्ता के अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण के दिनांक से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, प्रवृत्त मानी जायेगी।

(5) स्कीम का हर सदस्य विहित प्रारूप में हर कैलण्डर वर्ष के लिए वार्षिक चन्दा उस वर्ष के दिसम्बर माह के इक्तीस तारीख को अथवा उसके पूर्व निम्नवत् भुगतान करेगा--

(क) पचास रुपये, जहाँ वह अधिवक्ता के रूप में पाँच वर्ष से अनधिक अवधि तक प्रैक्टिस किया हो,

(ख) एक सौ रुपये, जहाँ वह, अधिवक्ता के रूप में पाँच वर्ष से अधिक किन्तु दस वर्ष से अनधिक अवधि तक प्रैक्टिस किया हो,

(ग) दो सौ पचास रुपये, जहाँ वह अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष से अधिक अवधि तक प्रैक्टिस कर चुका हो,

---

1. उ.प्र. अधि. सं. 3 सन् 1999 द्वारा अन्त:स्थापित।
2. उ.प्र. अधि. सं. 21 सन् 1988 द्वारा संशोधित।

[1][परन्तु सरकारी अधिवक्ता निधि में अपने वार्षिक चन्दा के साथ ऐसे प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष या उसके भाग के लिए जिसके दौरान वह सरकारी अधिवक्ता रहा हो, पचास रुपये प्रति वर्ष अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करेगा,

परन्तु यह और कि कोई सदस्य अपने विकल्प पर आजीवन चन्दा के रूप में तीन हजार रुपये और यदि वह सरकारी अधिवक्ता हो, तो तीन हजार पाँच सौ रुपये का एक मुश्त भुगतान कर सकता है,

परन्तु यह और भी कि राज्य सरकार न्यासी समिति से परामर्श करने के पश्चात् अधिसूचित आदेश द्वारा वार्षिक और आजीवन चन्दे की दर में परिवर्तन कर सकती है।]

स्पष्टीकरण—(i) इस उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस के अन्तर्गत विधिक प्रैक्टिशनर्स अधिनियम, 1879 के अन्तर्गत प्लीडर अथवा अन्य विधिक प्रैक्टिसनर के रूप में पंजीकृत अथवा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत गठित किसी बार कौसिल की पंजिका में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत व्यक्ति सम्मिलित है।

(ii) प्रैक्टिस की अवधि उस कैलेण्डर वर्ष, जिसके लिए चन्दा देय हो अथवा विधिक प्रैक्टिशनर अथवा अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होने के दिनांक, जो भी पश्चात्वर्ती हो, प्रारम्भ होगी।]

(iii)किसी सरकारी अधिवक्ता का तात्पर्य सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निकाय, प्राधिकारी या किसी व्यक्ति के समक्ष उसका प्रतिनिधित्व करने हेतु नियुक्त किये गये ऐसे किसी अधिवक्ता से है, जो, यथास्थिति, सरकार या ऐसे निकाय, प्राधिकारी का निगम से रिटेनशिप या मासिक भत्ते के रूप में कोई धनराशि प्राप्त करता हो,]

[2][**12. सदस्यता की समाप्ति और पुनःप्रवेश.**—स्कीम का कोई सदस्य ऐसा सदस्य नहीं रहेगा, यदि-

(क) वह मर जाये

(ख) उसका नाम राज्य बार कौसिल द्वारा अनुरक्षित राज्य पंजिका से हटा दिया जाये,

(ग) वह सदस्यता का परित्याग कर दे,

(घ) दो अथवा अधिक वर्ष की अवधि के लिए उसका वार्षिक चन्दा बकाया हो और उसे कारण बताने का अवसर प्रदान कर न्यासी समिति द्वारा उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाये।

(2) कोई अधिवक्ता, जिसकी स्कीम की सदस्यता समाप्त हो गयी हो, उसके लिखित आवेदन पत्र पर और बकाये चन्दा, जिसका भुगतान किया जाना चाहिये था, यदि उसकी चालू रहती, अठ्ठारह प्रतिशत प्रतिवर्ष उस पर ब्याज का भुगतान करने पर, स्कीम की सदस्यता के लिए पुनः प्रवेशित किया जा सकेगा, बशर्ते कि उसका नाम बार कौसिल द्वारा अनुरक्षित पंजिका में यथास्थिति पुनः अंकित किया गया हो या निरन्तर बना रहा हो।

---

1. उ.प्र. अधि. सं. 3 सन् 1999 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. उ.प्र. अधि. सं. 3 सन् 1999 द्वारा अन्तःस्थापित।

[1][**13. सदस्यता समाप्त होने पर निधि से भुगतान.**—(1) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके नामांकिती या जहाँ कोई नामांकिती न हो उसके विधिक वारिसों को निधि से उसकी सदस्यता के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए पाँच हजार रुपये की दर से संगणित धनराशि का, जो पच्चीस हजार रुपये से अन्यून और एक लाख पचास हजार रुपये से अनधिक हो, भुगतान किया जायेगा।

(2) किसी सदस्य को, धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ख),(ग) या (घ) के अधीन सदस्य न रह जाने पर निधि से निम्नलिखित प्रकार से भुगतान किया जायेगा-

(एक) सदस्यता के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए दो हजार रुपये प्रतिवर्ष की दर से संगणित धनराशि, यदि वह अपनी सदस्यता के सम्पूरित वर्ष के बारह वर्ष के पश्चात् और पच्चीस वर्ष के पूर्व त्यागपत्र देता है,

(दो) सदस्यता के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए, अधिकतम एक लाख पचास हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए, पाँच हजार रुपये प्रतिवर्ष की दर से संगणित धनराशि, यदि वह अपनी सदस्यता के सम्पूरित पच्चीस वर्ष के पश्चात् त्यागपत्र देता है,

(तीन) उसके द्वारा संदत्त वार्षिक चन्दे के कुल योग के बराबर धनराशि, और उस पर ऐसी दर से साधारण ब्याज, जो न्यासी समिति समय-समय पर नियत करे, यदि वह ऐसे अन्य कारण से जो उपधारा(1) या उपधारा(2) से आच्छादित न हो, सदम्य न रह जाये।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए सदस्यता के सम्पूरित वर्ष की संगणना के लिए योजना का सदस्य बनने के पूर्व प्रत्येक पाँच वर्ष के विधि व्यवसाय, यदि कोई हो, का योजना की सदस्यता, के एक वर्ष के रूप में संगणित किया जायेगा।"]

[2][**14. सदस्यों के हितों के अन्तरण, कुर्की आदि पर प्रतिबन्ध.**—तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी स्कीम के किसी सदस्य अथवा उसके नामनिर्देशिती अथवा विधिक वारिस की निधि से कोई धनराशि धारा 13 के अन्तर्गत प्राप्त करने का कोई अधिकार अथवा हित अन्तरित अथवा प्रसारित नहीं किया जायेगा और किसी न्यायालय की किसी डिक्री का आदेश के अधीन कुर्की किये जाने के अधीन नहीं होगा।]

[3][**14क. योजना के सदस्य के लिए उपबन्ध.**—जहाँ कोई अधिवक्ता जो इस अधिनियम के जैसा कि वह उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण (संशोधन) अधिनियम, 1998 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व था, अधीन योजना का सदस्य है, ऐसे प्रारम्भ के दो मास के भीतर, योजना का सदस्य न बने रहने का विकल्प देता है, वहाँ उसे ऐसी धनराशि जिसके लिए वह धारा 13 के, जैसा कि वह ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थी, अधीन हकदार हो भुगतान की जायेगी और ऐसा अधिवक्ता पुनः योजना की सदस्यता में सम्मिलित नहीं किया जायेगा, यदि ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया जाता है तो ऐसा अधिवक्ता योजना का सदस्य बना रहेगा।]

---

1. उ.प्र. अधि. सं. 3 सन् 1999 द्वारा प्रतिस्थपित।
2. उ.प्र. अधिनियम सं. 21 सन् 1988 द्वारा प्रतिस्थपित।
3. उ.प्र. अधि. सं. 3 सन् 1999 द्वारा प्रतिस्थपित।

15. सद्भाव में की गयी कार्यवाही को संरक्षण.—न्यासी समिति अथवा उसके किसी सदस्य अथवा अधिकारी के विरुद्ध, किसी कार्य के लिए, जो इस अधिनियम अथवा तद्धीन निर्मित किसी नियमावली के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किया गया हो अथवा किया जाना आशयित हो, कोई वाद, अभियोजना अथवा अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नही होगी।

[1][**16. नियम निर्मित करने की शक्ति.**—(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम निर्मित कर सकेगी।

(2) पूर्ववर्ती शक्ति की सामान्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किये बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित मामलों के बारे में उपलब्ध किया जा सकेगा-

(क) प्रारूप और रीति जिसमें स्कीम की सदस्यता के लिए आवेदन पत्र दिया जा सकेगा,

(ख) स्कीम की सदस्यता के लिए प्रवेश शुल्क और वार्षिक चन्दे के भुगतान की रीति,

(ग) प्रारूप और रीति जिसमें स्कीम के सदस्यों की सूची अनुरक्षित की जायेगी और उसकी प्रतियां एवं उद्धरण न्यायालयों को, उन्हें धारा 7 के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु, संसूचित किया जायेगा,

(घ) प्रारूप और रीति, जिसमें धारा 3 के अन्तर्गत भुगतान हेतु आवेदन पत्र दिया जायेगा तथा जाँच की रीति, यदि कोई, ऐसे भुगतान हेतु न्यासी समिति द्वारा किया जाता हो,

(ङ) प्रारूप और रीति, जिसमें धारा 13 के अन्तर्गत भुगतान प्राप्त करने हेतु नामांकन किया जायेगा,

(च) कोई अन्य मामला, जो विहित किया गया हो या किया जाये]

---

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 21 सन् 1988 द्वारा प्रतिस्थपित।

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि स्कीम नियमवली, 1989[1]

[Uttar Pradesh Advocate social security fund scheme Rules, 1989]

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ.—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि स्कीम नियमावली, 1989 कही जा सकेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषायें.—इस नियमावली में, जब तक कि प्रसंगवश अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) 'अधिनियम' से अभिप्राय उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 से है,

(ख) 'बार एसोसिएशन' से अभिप्राय राज्य बार कौसिल से सम्बद्ध बार एसोसिएशन से है,

(ग) 'प्रारूप' से अभिप्राय इस नियमावली से संलग्न प्रारूप से है,

(घ) 'सदस्य-सचिव' से अभिप्राय न्यासी समिति के सदस्य-सचिव से है,

(ङ) 'कार्यालय' से अभिप्राय न्यासी समिति के कार्यालय से है,

(च) 'स्कीम' से अभिप्राय अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि स्कीम से है।

3. कार्यालय, भवन और फर्नीचर आदि.—(1) न्यासी समिति की स्थापना की जायेगी, जिसका मुख्यालय लखनऊ में होगा।

(2) न्यासी समिति कार्यालय भवन, फर्नीचर, कार्यालय के सामान, स्टेशनरी और तत्समान वस्तुऐं, जो कार्यालय के संचालन हेतु आवश्यक हों--

4. कार्यवाहियों का ब्यौरा.—न्यासी समिति की हर बैठक की कार्यवाहियों का ब्यौरा तैयार किया जायेगा और तत्प्रयोजनार्थ रखी गयी पुस्तिका में बैठक की समाप्ति के तत्काल पश्चात् प्रविष्ट किया जायेगा और सदस्य सचिव अथवा न्यासी समिति द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

5. सदस्यता के लिए आवेदन पत्र.—(1) अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत स्कीम के सदस्य के रूप में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र प्रारूप सं. 1 में पूर्ण आकार के वाटरमार्क पेपर पर टाइप किया जायेगा और आवेदनकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा बार एसोसिएशन, जिसका वह सदस्य हो, के सचिव अथवा अध्यक्ष द्वारा सत्यापित किया जायेगा।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिवक्ता अधिनियम, 1974 (उ.प्र. अधि. सं. सन् 1974) की धारा 16 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में निर्मित।

(2) एक से अधिक बार एसोसिएशन की सदस्यता रचने वाला कोई अधिवक्ता मात्र ऐसी एक बार से स्कीम के सदस्य के रूप में प्रवेश प्रदान किये जाने हेतु आवेदन करने हेतु अर्ह होगा।

(3) स्कीम की सदस्यता के लिए आवेदन करने वाला कोई अधिवक्ता आवेदन पत्र के साथ अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट दर पर प्रवेश शुल्क का भुगतान करेगा,

(4) प्रवेश शुल्क का भुगतान उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति, लखनऊ के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक में रेंखाकित मांग ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा।

(5) स्कीम के सदस्य का प्रवेश करने के पश्चात् न्यासी समिति प्रारूप सं. 2 में प्रमाण पत्र जारी करेगी।

(6) न्यासी समिति स्कीम के सदस्यों की एक पंजिका प्रारूप 3 में तैयार करेगी और रखेगी।

(7) स्कीम के सदस्य के रूप में प्रवेश हेतु किसी आवेदन पत्र को निरस्त करने के न्यासी समिति के निर्णय के डाक द्वारा आवेदन कर्ता को संसूचित किया जायेगा।

(8) कोई सदस्य कार्यालय हर कैलेंडर वर्ष के लिए, अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार, उस वर्ष के दिसम्बर माह के इक्तीस तारीख को या उससे पूर्व भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ में रेखांकित मांग ड्राफ्ट के द्वारा वार्षिक चन्दा देगा।

6. स्कीम में पुनःप्रवेश.—(1) सदस्य के रूप में पुनः प्रवेश हेतु आवेदन पत्र प्रारूप 4 में टाइप किया जायेगा।

(2) यदि कोई भुगतान अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के अन्तर्गत किया जाना हो, तो वह उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति, लखनऊ के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक में किया जायेगा।

7. निधि से भुगतान के लिए प्रक्रिया.—(1) न्यासी समिति किसी सदस्य से अथवा उसके विधिक प्रतिनिधि से, यथास्थिति, निधि से भुगतान हेतु आवेदन पत्र प्रारूप सं. 5 में प्राप्त कर सकेगी।

(2) धारा 13 के अन्तर्गत देय सभी धनराशि सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित खाता में भुगतान चेक द्वारा किया जा सकेगा।

(3) निधि से भुगतान के लिए हर आवेदन पत्र, यथासम्भव, कार्यालय में उसकी प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन की अवधि के भीतर निस्तारित की जायेगी।

(4) निधि से भुगतान कि लिए आवेदन पत्र निरस्त करने के न्यासी समिति के सभी निर्णय डाक द्वारा आवेदन कर्ता को संसूचित किये जायेंगे।

8. न्यायालयों को संसूचना.—न्यासी समिति, स्कीम के सदस्यों की प्रथम सूची के तैयार होने के पश्चात यथाशीघ्र, उसकी प्रति, सभी न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, प्राधिकारियों और व्यक्तियों, जिनके समक्ष वकानतनामा दाखिल किया जा सके, प्रेषित करेगा, और

तदुपरान्त यदि कोई परिवर्तन उस सूची में किया जाता है, तो यथाशीघ्र उसका उद्धरण उन सभी उपर्युक्त न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, प्राधिकारियों और व्यक्तियों को प्रेषित करेगा।

9. बार कौंसिल से वार्षिक विवरण.—(1) न्यासी समिति राज्य बार कौंसिल से अधिवक्ताओं के पंजीकरण, मृत्यु के कारण उसके समाप्त होने, हटाये जाने अथवा प्रमाणपत्र के को निलम्बित किये जाने और ऐसी अन्य सूचनाओं, जिसे वह आवश्यक समझे, के बारे में वार्षिक विवरण देने के लिये कह सकेगी।

(2) राज्य बार कौंसिल अधिनियम की धारा 8 के अधीन यथापेक्षित धनराशि का भुगतान कार्यालय को उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति, लखनऊ के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक में रेखांकित मांग ड्राफ्ट के माध्यम से करेगी।

10. जांच.—(1) अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत निधि से भुगतान के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर कार्यालय आवेदन पत्रों के प्राप्ति के क्रमानुसार व्यावस्थित करेगा तथा ऐसे क्रम के अनुसार ही उसका निरीक्षण करेगा।

(2) न्यासी समिति बार कौंसिल अथवा/और सम्बन्धित बार एसोसिएशन से और जिला अथवा उप खण्डीय अधिकारी से अथवा ऐसे अन्य प्राधिकरण से आवेदन पत्र में दिये गये विवरण की शुद्धता या अन्यथा के बारे में पूछ सकेगी, जिसे वह आवश्यक समझे।

(3) न्यासी समिति, ऐसी जांच, जो उसके विचार में आवश्यक हो, करने के पश्चात और आवेदन कर्ता के सुनवायी का पूरा अवसर देने के पश्चात् आवेदन पत्र को निरस्त कर सकेगी।

(4) न्यासी समिति के अपने कृत्यों के निस्पादन, स्थान अथवा स्थानों, जहाँ उसकी बैठक हो सके, से उत्पन्न सभी कार्यवाहियों में अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की सकेगी।

प्रारूप–1

(देखिये : नियम (1))

भाग–1

अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा विधि स्कीम में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र--

1. पूरा नाम और पता (बड़े अक्षरों में).....
2. आवेदनकर्ता की आयु एवं जन्म का दिनांक, जो हाईस्कूल के प्रमाण पत्र में अंकित हो.....
3. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत पंजीकरण का दिनांक, वर्ष एवं संख्या.....
4. अधिवक्ता, के रूप में प्रेक्टिस की पूर्व अवधि के वर्षो की संख्या (आवेदन किये जाने के वर्ष की एक जनवरी को)..... .....
5. अधिवक्ता के रूप में प्रेक्टिस का स्थान या के स्थान..... .....

6. अधिवक्ता के रूप में प्रेक्टिस के निलम्बन अथवा अनियमित होने, यदि कोई हो, का विवरण निलम्बन एवं पुन: प्रारम्भ के विवरण के साथ.....
.....

7. संलग्न प्रारूप में विवरण के साथ नामिती अथवा नामितियों का नाम एवं पता.....

8. बैक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान न किये गये प्रवेश शुल्क का विवरण-बैक ड्राफ्ट सं.....दिनांक.....बैकर का नाम.....

9. बार एसोसिएशन (जिसका वह सदस्य हो) संख्या की राज्य बार कौसिल से संबंद्ध होने/नवीनीकृत किये जाने का दिनांक.....

मै .....शपथपूर्वक कहता हूँ कि उपर्युक्त विवरण सत्य और शुद्ध है।

स्थान :

दिनांक : आवेदनकर्ता का हस्ताक्षर

द्वारा सत्यापित: अध्यक्ष/सचिव, बार एसोसिएशन

भाग-2

मै .....पुत्र/पुत्री.....
.निम्नलिखित व्यक्तियों के धनराशि, जो निधि में मेरे खाते में हो, जाने पर किन्तु भुगतान किये जाने के पूर्व मेरी मृत्यु की दशा में, प्राप्त करने हेतु नामनिर्दिष्ट करता हूँ/करती हूँ।

नामितियों का नाम एवं पता	सदस्य के साथ सम्बन्ध	नामिती की आयु	प्रत्येक को भुगतान किये जाने वाले अंश की राशि	आकस्मिता जिसके घटित होने पर नामांकन अवैध होगा।
1.				
2.				
3.				

दिनांक.....स्थान.....

प्रारूप-2

(देखिये नियम 5 (5))

सदस्यता प्रमाण पत्र

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति प्रमाणित करती है कि [श्री/श्रीमती .....उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि] अधिनियम, 1974 की धारा 11 के अन्तर्गत स्कीम के सदस्य के रूप में प्रविष्ट किये गये है और क्रमांक.....(जिला/सं.) पर पंजीकृत किये गये है।

दिनांक.....

मुद्दा.....

न्यासी समिति के आदेश द्वारा।

प्रारूप-3

(देखिये नियम 5(6))

अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि स्कीम में प्रविष्ट किये गये सदस्यों की पंजिका का प्रारूप-

क्रमांक	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम एवं पता	बार एसोसिएशन का नाम जिसका वह सदस्य है	जन्म तिथि	अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण का दिनांक	अधिवक्ताओं की राज्य सूची में संख्या	स्कीम में प्रवेश का दिनांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

सदस्य-सचिव/कार्यालय

न्यासी समिति

प्रारूप-4

(देखिये नियम 6 (1))

भाग-1

अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि स्कीम में पुनः प्रवेश के लिए आवेदन पत्र

1. नाम और पता (बड़े अक्षरों में).....

2. हाईस्कूल प्रमाणपत्र में यथा प्रविष्ट आवेदन कर्ता की जन्मतिथि.....
.....

3. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन पंजीकरण का दिनांक, वर्ष एवं संख्या.....

4. अधिवक्ता के रूप में प्रेक्टिस करने के वर्षो की पूर्ण संख्या .....
.....

5. प्रेक्टिस का स्थान या के स्थान.....

6. प्रेक्टिस के निलम्बित अथवा अनियमित किये जाने, यदि कोई हो, की अवधि, निलम्बन और पुनः प्रारम्भ के विवरण के साथ.....
.....

7. प्रारूप सं. 1 में दिये गये प्रारूप में विवरण सहित नामिती या नामितियों का नाम एवं पता.....

8. धारा 12 (2) के अन्तर्गत किये गये भुगतान की धनराशि और दिनांक....
.....

9. स्कीम की सदस्यता में पूर्व प्रवेश का दिनांक.....

10. मैं.....शपथपूर्वक अभिकाथित करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण सत्य और शुद्ध है।

स्थान :

दिनांक : आवेदन कर्ता का हस्ताक्षर

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष/सचिव द्वारा सत्यापित

दिनांक.....

स्थान.....

प्रारूप-5

(देखिये नियम 7 (1))

अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि से भुगतान के लिए आवेदन-पत्र

1. आवेदन कर्ता का नाम, आयु और पता (बड़े अक्षरों में).....
   .....
2. सदस्य का नाम.....
3. सदस्य के प्रमाण पत्र की संख्या और दिनांक.....
4. निधि से भुगतान का कारण.....
5. यदि आवेदन कर्ता सदस्य से भिन्न है, तो-
   (1) आवेदन कर्ता का अधिकार उल्लिखित कीजिये जिसके अधीन वह निधि से भुगतान प्राप्त करने का हकदार है.....
   .....
   (2) आवेदन पत्र के साथ अधिकार के बारे में दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो, संलग्न किया जाये।
   (3) सदस्य के परिवार अथवा अन्य निकट सम्बन्धियों का विवरण और उनका पता दीजिए.....

स्थान:
दिनांक:

आवेदन कर्ता
का हस्ताक्षर